न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—76 / 2018 / 223 (2018 / 00076)

1. श्रीमती रामी पत्नि स्व0 रामपाल,
2. हेमराज पौत्र स्व0 रामपाल पुत्र स्व0 कैलाश,
3. गजानंद पुत्र स्व0 रामपाल,
4. नेमीचंद पुत्र स्व0 रामपाल,
5. शंकरलाल पुत्र स्व0 रामपाल,
6. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 रामपाल,

समस्त जाति तैली, नि0 सावरदा, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

अपीलांटस

बनाम

1. सूरजमल पुत्र स्व0 रामदेव,
2. चांदमल पुत्र स्व0 रामदेव,
3. नाथूलाल पुत्र स्व0 ग्यारसीलाल,
4. लालाराम पुत्र स्व0 ग्यारसीलाल,
5. रामचंद्र पुत्र स्व0 ग्यारसीलाल,
6. कानाराम पुत्र स्व0 ग्यारसीलाल,

समस्त जाति तैली, नि0 सावरदा, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

8. धर्मचंद पुत्र स्व0 सुवालाल,
9. मोनू उर्फ कर्मचंद पुत्र स्व0 सुवालाल,
10. श्रीमती सीतादेवी पत्नि स्व0 अशोक,
11. सुश्री टीना पुत्री स्व0 अशोक (नाबालिग) जरिये सरंक्षक माता सीतादेवी,
12. युवराज पुत्र स्व0 अशोक (नाबालिग) जरिये सरंक्षक माता सीतादेवी,
13. श्रीमती मनभर पत्नि स्व0 नवरत्न,
14. सुश्री खुशी उर्फ रचना पुत्री स्व0 नवरत्न (नाबालिग) जरिये सरंक्षक माता मनभर,
15. त्रिलोक पुत्र स्व0 नवरत्न (नाबालिग) जरिये सरंक्षक माता मनभर,
16. दीपक पुत्र स्व0 नवरत्न (नाबालिग) जरिये सरंक्षक माता मनभर,
17. नन्द किशोर साहू पुत्र स्व0 गोपाल पौत्र स्व0 भंवरलाल,
18. दिनेश साहू पुत्र स्व0 गोपाल पौत्र भंवरलाल,
19. पिन्टू साहू पुत्र स्व0 भंवरलाल,

समस्त जाति तैली, निवासी सावरदा, तह0 मौजमाबाद जिला जयपुर ।

प्रफोर्मा रेस्पो0

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू दिनांक 3.8.1992 अंतर्गत वाद संख्या 167 / 1992.

उपस्थितः—

1. श्री छीतरमल टेपण, वकील अपीलांटस ।
2. श्री मुकेश जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. रेस्पो0 संख्या 2 से 6 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 7.
5. सलीम मौहम्मद, वकील रेस्पो0 संख्या 9 से 11.

निर्णय

दिनांकः— 23.9.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय व डिक्री दिनांक 3.8.1992 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर वादपत्र की मद संख्या 1 में वादग्रस्त आराजियात का विवरण देते हुए वादपत्र की मद संख्या 2 में स्वीकारोक्ति की कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है और वादग्रस्त आराजी मौरूसी संयुक्त खातेदारी की सम्पति है तथा आगे कथन किया कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण ने पारिवारिक बंदोबस्त व आपसी रजामंदी से वादग्रस्त आराजियात में अपने हिस्से कर लिये है और प्रतिवादी संख्या 3 मृतक रामपाल जो कि उक्त अपीलांटस का पति/पिता रहा है ने अपने हिस्से की आराजी का बैचान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कर दिया है जिससे उसका कोई हक व हिस्सा नहीं है । प्रतिवादी संख्या 3 इकरारनामा बिचौती प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में लिखने के कथन करते हुए स्वीकारोक्ति की है तथा वादपत्र की मद संख्या 3 में यह भी स्वीकारोक्ति की कि वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बुजुर्ग रामदेव के नाम थी और इसके उपरांत दिनांक 31.7.1992 को उपरोक्त वादीगण/रेस्पो0 संख्या 3 से 6 ने रेस्पो0 संख्या 1 व 2 प्रतिवादीगण ने वादीगण से दुरभि संधि करते हुए मिलीभगती से राजीनामा आवेदन पेश किया जिस पर प्रतिवादी संख्या 3 स्व0 रामपाल की सहमति के व स्वीकृति के हस्ताक्षर नहीं कराये गये ओर न ही उसे तलब कर जवाबदावा प्रस्तुत करने व अपनी प्रतिरक्षा करने का अवसर ही प्रदान किया गया ओर अधी0न्याया0 ने उक्त राजीनामे को दिनांक 31.7.1992 को तस्दीक करते हुए विभाजन का निर्णय व डिक्री दिनांक 3.8.1992 को पारित कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंटस के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष वाद संख्या 167/1992 जो कि धारा 53 व 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत किया था जिसमें भूधारी राजस्थान सरकार व वादग्रस्त भूमि के मलू खातेदार रामदेव के सभी जायंदा पांच पुत्रों भंवरलाल, रामपाल, ग्यारसीलाल, चांदमल व सूरजमल जिनका कि विवादित

आराजियात में 1/5 हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत प्राप्त होने से वाद में आवश्यक पक्षकार थे इसके बावजूद इनमें से भंवरलाल व सूरजमल को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया । आवश्यक पक्षकारों के अभाव में बंटवारे का वाद संधारण योग्य नहीं था । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री का आधार राजीनामा दिनांक 31.7.1992 को बनाया है जबकि उक्त राजीनामे पर प्रतिवादी संख्या 3 जिसका वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्सा होना वादपत्र में स्वीकार किया है जिसके राजीनामे में सहमति स्वरूप अंगूठा, हस्ताक्षर नहीं है, न ही उसके द्वारा इकबाली जवाबदावा ही दिया गया है, इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजीनामा दिनाक 31.7.1992 के आधार पर पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने वादपत्र की मद संख्या 2 की अंतिम पंक्ति में रेस्पो0 संख्या 3 से 6 जो द्वारा जो कथन किये है उनमें यह स्वीकारोक्ति की है कि प्रतिवादी संख्या 3 मृतक रामपाल ने इकरारनामा बिचौती प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में लिख दिया और विधि का सर्वमान्य सिद्धांत एवं बाध्यकारी प्रावधान है कि 100/– रूपये से ज्यादा की अचल सम्पति का बैचान पंजीकृत होना आवश्यक है अन्यथा क्रेता को कोई हक–हकूक प्राप्त नही होगें । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रतिवादी संख्या 3 स्व0 रामपाल जिसके वारिसान अपीलांटस है के हक–हकूक एवं अधिकारों को बिना किसी आधार के प्रतिवादी संख्या 1 व 2 में मर्ज कर दिया जो अवैध होने से अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 की आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण को दिनांक 6.4.1992 को दर्ज किया गया और प्रतिवादी की तलबी के आदेश करते हुए आगामी पेशी दिनांक 27.5.1992 दी गई और दिनांक 27.5.1992 की आदेशिका में यह अंकित है कि प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं है और न ही सम्मन वबाद तामील व अदम तामील वापिस प्राप्त हुए है । प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन तलवाना पेश होने पर जारी करे और आगामी पेशी दिनांक 31.7.1992 दी गई । आगामी तारीख पेशी दिनांक 31.7.1992 को मिलीभगती से वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने राजीनामा आवेदन पेश कर दिया और प्रतिवादी संख्या 3 अपीलांटस के पिता रामपाल की तामील हुए बिना ही तथा उनको प्रतिरक्षा का अवसर दिये बिना आगामी पेशी दिनांक 3.8.1992 को अपीालधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किये बिना तथा अपीलांटस को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना राजीनामे के आधार पर वाद डिक्री किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादग्रस्त भूमि के मलू खातेदार रामदेव के सभी विधिक वारिसान पुत्रों आदि को पक्षकार बनाया जाकर उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिवत् रूप से विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्राथना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट के पिता स्व0 रामपाल प्रतिवादी संख्या 3 को विधि अनुसार तामील कराये बिना ही एवं प्रतिरक्षा में सुनवाई, जवाब, साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना पारित की है । अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की अपीलांटस को सर्वप्रथम जानकारी अधी0न्याया0 में एक अन्य वाद नंदकिशोर बनाम दिनेश में रेस्पो0/वादीगण एवं प्रतिवादीगण चांदमल व सूरजमल द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा व काउण्टर क्लेम से हुई तब नकले प्राप्त करने अपने अधिवक्ता से संपर्क कर

जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पोडेंटस ने जवाब बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात खतौनी संख्या 56स, 95, 96 की आराजी वादीगण के हिस्से की व खतौनी संख्या 57 की आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से की आराजियात है । वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होकर मौरूसी संयुक्त खातेदार है । वादीगण व प्रतिवादरी ने पारिवारिक बंदोबस्त व आपसी रजामंदी से खतौनी संख्या 56 की आराजी संपूर्ण वादीगण के हिस्से में, खतौनी संख्या 95 की संपूर्ण 1/2 आराजी वादीगण के हिस्से में, खतौनी संख्या 96 की आराजी में 1/3 हिस्सा वादीगण के हिस्से में रखा है । खतौनी संख्या 56, 95, 96 में प्रतिवादीगण का हिस्सा नहीं है तथा खतौनी संख्या 57 की आराजी संपूर्ण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से में है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 3 रामपाल ने खतौनी संख्या 57 की आराजी में से अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को दिनांक 12.6.1985 को बेचान कर रकम प्राप्त कर ली है इसलिये प्रतिवादी संख्या 3 का विवादित आराजियात में कोई हक व अधिकार शेष नहीं रह गया था । उक्त बैचान बाबत् इकरारनामा बिचौती प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में तहरीर किया गया है । बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजियात वादीगण व प्रतिवादीगण के बुजुर्ग स्व0 रामदेव के नाम थी इसलिये विरासत के आधार पर संयुक्त खातेदारी का इंद्राज हो गया जबकि स्व0 ग्यारसीलाल व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने पारिवारिक सेटलमेंट के अनुसार खतौनी संख्या 56, 95, 96 की संपूर्ण आराजी के स्व0 ग्यारसीलाल के हिस्से में रखकर व खतौनी संख्या 57 प्रतिवादीगण के हिस्से में रखकर इसी अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण कर विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री पारित की है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांटस के अभिभाषक का मुख्य कथन रहा है कि वादीगण/रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद संख्या 167/1992 धारा 53 व 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत किया था जिसमें भूमिधारी राजस्थान सरकार व वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदार रामदेव के सभी जायंदा पांच पुत्रों भंवरलाल, रामपाल, ग्यारसीलाल, चांदमल व सूरजमल जिनका कि विवादित आराजियात में 1/5 हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत निहित होने से वाद में आवश्यक पक्षकार थे, इसके बावजूद इनमें से भंवरलाल व सूरजमल को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया । आवश्यक पक्षकारों के अभाव में वादीगण/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत बंटवारे का वाद संधारण योग्य नहीं था । विद्वान वकील अपीलांटस का यह भी कथन रहा है कि अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री का आधार राजीनामा दिनांक 31.7.1992 को बनाया है जबकि उक्त राजीनामे पर प्रतिवादी संख्या 3

जिसका वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्सा होना वादपत्र में स्वीकार किया है जिसके राजीनामे में सहमति स्वरूप अंगूठा, हस्ताक्षर नहीं है, न ही उसके द्वारा इकबाली जवाबदावा ही दिया गया है, इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजीनामा दिनाक 31.7.1992 के आधार पर पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण/रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 में वादपत्र में विवादित आराजियात को वादीगण/रेस्पो0 एवं प्रतिवादीगण/अपीलांटस की संयुक्त खातेदारी की आराजियात होने का कथन कर बंटवारे एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है । अपील के विचाराधीन रहते अपीलांटस ने खातेदार रामदेव पुत्र जीवन सजरा खानदान पेश किया है । उक्त सजरे के अनुसार रामदेव के पांच पुत्र भंवरलाल, रामपाल, ग्यारसीलाल, चांदमल व सूरजमल है जिनका कि विवादित आराजियात में 1/5 हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत निहित होने से वाद में आवश्यक पक्षकार थे, किन्तु वादीगण ने इनमें से भंवरलाल व सूरजमल को वाद में पक्षकार नहीं बनाया है । जबकि रामदेव के समस्त पुत्रगण वाद में आवश्यक पक्षकार थे । पक्षकारों के कुसंयोजन के आधार पर वादीगण/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत वाद संधारण योग्य नहीं था । इसी प्रकार अपीलांटस का कथन रहा है कि अधी0न्याया0 ने वादीगण का वाद राजीनामे के आधार पर डिक्री किया है जबकि प्रतिवादी संख्या 3 जिसका वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्सा होना वादपत्र में कथित किया है, किन्तु उक्त राजीनामें पर प्रतिवादी संख्या 3 के सहमति स्वरूप अंगूठा, हस्ताक्षर निशानी नहीं है, न ही प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा इकबाली जवाबदावा ही दिया गया है, इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने राजीनामे को स्वीकार कर वाद डिक्री किया है । हम अधिवक्ता अपीलांटस के इस कथन से सहमत है कि प्रतिवादी संख्या 3 की सहमति के अभाव में राजीनामा पूर्ण नहीं था तथा ऐसे अपूर्ण राजीनामे के आधार पर वाद डिक्री नहीं किया जा सकता था तथा न ही प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अन्य प्रतिवादीगण को राजीनामा किये जाने का कोई हक व अधिकार था । अधी0न्याया0 की आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण को दिनांक 6.4.1992 को दर्ज किया गया और प्रतिवादी की तलबी के आदेश करते हुए आगामी पेशी दिनांक 27.5.1992 दी गई और दिनांक 27.5.1992 की आदेशिका में यह अंकित है कि प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं है और न ही सम्मन बाद तामील व अदम तामील वापिस प्राप्त हुए है । प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन तलवाना पेश होने पर जारी करे और आगामी पेशी दिनांक 31.7.1992 दी गई । आगामी तारीख पेशी दिनांक 31.7.1992 को वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने राजीनामा आवेदन पेश कर दिया और प्रतिवादी संख्या 3 अपीलांटस के पिता रामपाल की तामील हुए बिना ही तथा उनको प्रतिरक्षा का अवसर दिये बिना आगामी पेशी दिनांक 3.8.1992 को अपीालधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से भी न्यायसंगत नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 3.8.1992 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजियात के समस्त आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकारान को वाद में पक्षकार नियुक्त कर उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर

वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे। अधी0न्याया0 द्वारा वाद के निस्तारण तक उभयपक्ष को इस निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजियात को रहन, बैय, हस्तातंरण आदि नहीं करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 23.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर